



10 सितम्बर 1978 को उ०प्र० के मैनपुरी जनपद में जन्मे तथा सामाजिक सुधार, सौहार्द एवं सद्भाव के प्रति विशेष रुचि एवं समसामयिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति सजग दृष्टि रखने वाले डॉ. शाक्य ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्ध नेशनल पी.जी. कालेज भोगाँव, मैनपुरी से वर्ष 1999 में एम.ए. (अर्थशास्त्र) तत्पश्चात् वर्ष 2002 में अर्थशास्त्र विषय में पी.एच.डी. की उपाधि ग्रहण की।

डॉ. उमेश कुमार शाक्य संप्रति— महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध प्रेमकिशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद, शाहजहाँपुर, उ०प्र० में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आप विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भागीदारी एवं आयोजन में संलिप्त रहे हैं तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स एवं पत्र-पत्रिकाओं में शोध पत्र एवं लेखों के प्रकाशन के द्वारा आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

संपर्क— 9368101501 E-mail-drukshakya@gmail.com

बुक पब्लिकेशन

प्रकाशक एवं वितरक

106 विराम खण्ड 3, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ०प्र०)

मो०: 09506666655, 09935007103

E-mail:bookpublicationss@gmail.com

ISBN 978-93-85420-10-8



9 789385 420108 >

₹ 600/-

भारत में उच्च शिक्षा दशा एवं चुनौतियाँ • डॉ. उमेश कुमार शाक्य



**भारत में उच्च शिक्षा
दशा एवं चुनौतियाँ**

डॉ. उमेश कुमार शाक्य

उच्च शिक्षा : विद्या विधान और संस्थान

(फर्रुखाबाद के शिक्षण संस्थानों का वर्तमान स्वरूप)

डॉ. नीतू सिंह तोमर, पी0डी0एफ0

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाहजफर मार्ग, नई-दिल्ली-110001

शिक्षा की पूर्ति हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साधन, पाठ्यक्रम, प्रबंधन, विधि के लिए जो मानक एवं विधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा से देश-समाज पर अच्छे-बुरे प्रभावों के आंकलन की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने शिक्षा जगत की शिक्षण संस्थानों की शैक्षिक, प्रबंधकीय तथा मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर विद्यालयों का अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद जनपद में संचालित डिग्री एवं विधि तथा बी.एड. कालेजों जिनमें वित्त पोषित, स्ववित्तपोषी एवं राजकीय कालेज शामिल हैं, का निरीक्षण-अवलोकन किया तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधतंत्रों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षाधिकारियों एवं जनता से बातचीत की तथा औपचारिक-अनौपचारिक माध्यम से शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। शिक्षा अधिनियम, ट्रस्ट-सोसाइटी अधिनियम, यूनीवर्सिटी एक्ट, सरकारी आदेश-संग्रहों, कर्मचारियों के आचरण संहिताओं एवं कालेज व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आंकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि कालेजों के भवन-कक्ष, प्रबंध समितियों के पदाधिकारी-सदस्य एवं उनकी गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, वेतन-भत्ते, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रयोगिककार्य, शिक्षक-छात्र उपस्थित, परीक्षा, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ आदि मानक युक्त हैं या नहीं।

जनगणना-2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1210193421 जिसमें 623724248 पुरुष, 586469174 स्त्रियाँ एवं कुल साक्षरता 74.04% जिसमें 82.14% पुरुष, 65.46% स्त्रियाँ, लिंगानुपात 1000:940 हैं। शिक्षापूर्ति के लिए देश में विद्यालयों की संख्या-प्राथमिक-756950, उच्च प्राथमिक-300008, हाईस्कूल एवं इण्टर-165087, केन्द्रीय विद्यालय-981, नवोदय विद्यालय-576, महाविद्यालय-11458, महिला महाविद्यालय-2260, व्यवसायिक डिग्री कालेज-7024, विश्वविद्यालय-371, राज्य विश्वविद्यालय-268, केन्द्रीय विश्वविद्यालय-40, तकनीकी-इंजीनियरिंग-2388, एम.सी.ए.-1137 विद्यालय हैं। शोधस्तर पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1989 तथा पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय-1989 और इंदिरा गांधी

राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू 1985 संचालित हो रहा है। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए निरक्षरता समाप्त हेतु केन्द्र, राज्य सरकारों और समाज सेवियों द्वारा विभिन्न प्रकृति के साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रौढ़ और वृद्ध शिक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम एवं साधन अपनाए जा रहे हैं।

शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए मानकपूर्ण विद्यालय, पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रयोगशाला एवं योग्य शिक्षक, स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त भोजन, औषधि, सुरक्षा के लिए न्याय तथा अपराध के लिए दंड बुनियादी जरूरतें हैं। हमारा लोकतांत्रिक समाधान जन-सामान्य के संरक्षण एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति व्यवस्था हेतु एक संकल्पित है। हमारी सरकारें-कार्यपालिका, विधायका और न्यायपालिका अपनी यथाशक्ति से देश की जनसमस्याओं का समाधान कराने में अपने दायित्वों का निर्वाहन कर रही हैं परन्तु स्वार्थी-अराजक लोग सरकारी व्यवस्था में घुसपैठ कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर अराजकता कर रहे हैं। पर्यावरण सहित समाज की अधिकांश वस्तुएँ बुरी तरह विषाक्त तथा प्रदूषित की जा रही हैं। जीवन की बुनियादी शिक्षा शिक्षक-विहीन, प्रयोगशाला-विहीन, शिक्षण-विहीन, सकल युक्त और उद्देश्यहीन हो गई है।

शिक्षा का उद्देश्य-बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्ष-अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, परीक्षा, साधन, शिक्षक, बालक और स्कूल-कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया ज्ञान-सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, प्रतिपत्ति, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज-दार्शनिक-प्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता एवं आवश्यकता उसकी सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होती है। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं आवश्यकताओं को बदलते हैं। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता है। समाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ एवं संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण एवं धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वैसी ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, सरकार जनता को शिक्षा संबंधी अधिकारों की रक्षा करेगी। शिक्षा आयोग-1964-66 से 1986 तक सकल राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी किन्तु 1985-86

में विकास दर 9% ही रही। ऐसी खराब अर्थिक स्थिति के कारण सरकार शिक्षा पर केवल 3% ही व्यय कर सकी और शिक्षा की प्राथमिकता सूची से काफी नीचे आ गई तथा सरकार शिक्षा पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं रही जिससे शिक्षा का निजीकरण जरूरी समझा जा रहा है।

शिक्षा का निजीकरण या निजी स्वामित्व का मात्रात्मक प्रदर्शित करती है। इसका स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं को निजी क्षेत्र में सौंपकर सरकारी अधिकार को कम करना है। अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण के प्रभाव महसूस किए जा रहे हैं इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा के सम्बन्ध में प्राचीनकाल से वर्तमान तक प्रचलित दो धारणाएँ 1. राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य नियंत्रित शिक्षा, 2. व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से राज्य नियंत्रण से परे शिक्षा प्रबंध और संचालन प्रमुख रही है। आधुनिक काल में प्रथम धारणा किसी न किसी रूप में समाजवादी विचार धारा व द्वितीय धारणा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से जुड़ी है।

सोसाइटी अधिनियम-1860 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार, सोसाइटी शिक्षा की आवश्यकता एवं पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित होती है। सोसाइटी के लिए स्थानीय कार्यालय, सदस्यता, शुल्क, चुनाव, बैठक, अधिवेशन, योगदान, सदस्य योग्यता, अवैतनिक समाजसेवा, सोसाइटी चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा का सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक है। पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से शिक्षण संस्थान संचालित किए जा सकते हैं। सोसाइटी के मामले सोसाइटी का रजिस्ट्रार स्वयं या किसी के माध्यम से निरीक्षण-अन्वेषण करवा कर देखता है। जहाँ सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहा हो, सोसाइटी अपने मामलों में कुप्रबंधन की दोषी हो, सोसाइटी ने छन्द सम्बन्धी या किसी अन्य बाध्यताओं का उल्लंघन किया हो।

शिक्षा सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय होगा जिसका अपना भवन होगा। सोसाइटी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक, राजनैतिक दलहीन, गैरकानूनी संस्था से पृथक, अहिंसा, समाजसेवक, अनुशासित, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर्ता समिति का सदस्य हो सकता है। समिति की सदस्यता का अधिकाधिक वर्ष मार्च से फरवरी तक होगा।

सोसाइटी के कार्य या लक्ष्य एवं उद्देश्य भारत के महापुरुषों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक कृतियों के एकत्रीकरण, प्रकाशन और शोध सहायता करना, सोसाइटी में शिक्षा के प्रचार एवं विस्तार के लिए प्रयास करना, सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति तथा संस्था एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के समय-समय पर खेलकूद, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं अध्यात्मिक विषयों पर विचार-गोष्ठी का आयोजन करना, सदस्यों में सहकारिता व सहभागिता की भावना निर्मित करना, सोसाइटी की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर अध्ययन, शोधकार्य करना, पर्यावरण संरक्षण तथा परिस्थितिक विकास के लिए प्रयास करना, राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता तथा सदभावना

को बढ़ावा देना, सामाजिक अभिशापों- दहेज, छुआछूत, नशा, हिंसा, अशिक्षा समाप्त करने हेतु जनमत तैयार करना। सोसाइटी की समस्त आय प्राप्तियाँ, चल-अचल सम्पत्तियों का उपयोग सोसाइटी के ज्ञापन में प्रदत्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और किसी भी सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाभ, बोनस या लाभान्श के रूप में नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति पर किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा तथा कोई भी सदस्य उससे किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं करेगा। सोसाइटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी।

सोसाइटी और विद्यालय-शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित कालेज या संस्थानों के मामले का प्रबंधन सोसाइटी का संचालन शासकीय निकाय द्वारा किया जाता है। यदि सोसाइटी द्वारा कालेज या संस्थान का संचालन किया जाता है, तो उसके मामलों के लिए शासकीय निकाय या प्रबंध समिति का गठन होगा। राज्य शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम यह अपेक्षा करते हैं कि कालेज के मामलों के प्रबंध के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। यदि सोसाइटी द्वारा एक से अधिक कालेजों की स्थापना की जाती है और संचालन किया जाता है तो प्रत्येक कालेज के लिए एक प्रबंध समिति का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ सोसाइटी द्वारा एक ही कालेज का संचालन किया जाता है, वहाँ सोसाइटी द्वारा दो प्रबंध समितियों का गठन किया जाना चाहिए, एक कालेज में मामलों के प्रबंध के लिए एवं दूसरा सोसाइटी के मामलों के प्रबंध के लिए। सोसाइटी-कालेज के लिए दोनों प्रबंध समितियों की पदावधि भिन्न-भिन्न होती है किन्तु यदि दो अधिनियमों के अधीन गठित दो प्रबंध समितियाँ एक ही हैं, तो कालेज की प्रबंध समिति की अवधि के साथ सोसाइटी के लिए गठित प्रबंध समिति की अवधि का भी समापन हो जाता है।

शिक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत कोई भी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा विद्यालय संचालित किए जा सकते हैं। शिक्षा बोर्ड व विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई भी पंजीकृत सोसाइटी अपने क्षेत्र के सदस्य-व्यक्तियों को बोर्ड-विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी हेतु विद्यालय संचालित कर सकती है जिसके लिए सोसाइटी के सामान्य सदस्यों की खुली बैठक में प्रस्ताव एवं चुनाव द्वारा विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति का गठन होगा जिसके आधार पर विद्यालय संचालन की प्रशासन योजना निर्मित हो सकेगी और शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासन योजना का अनुमोदन-रिनूवल उपरान्त ही कोई भी सोसाइटी विद्यालय से संबद्ध हो सकती है।

कालेज-विद्यालय प्रबंध समिति में पदेन सदस्य सहित कुल 15 सदस्य हो सकते हैं। 3 पदेन सदस्यों के अतिरिक्त 12 सदस्यों का चयन सभी कोटि के सदस्यों को सम्मिलित कर साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा। समिति में किसी जाति धर्म व समुदाय का एकाधिकार नहीं होगा तथा कोई भी आजीवन सदस्य-पदाधिकारी नहीं होगा। पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

सचिव-प्रबंधक, उप-प्रबंधक, कोषाधिकारी होंगे। विद्यालय समिति का कोई भी सदस्य एक-दूसरे के परिजन-संबंधी-हितबद्ध नहीं होगा और न ही शिक्षा संशोधित अधिनियमों के अंतर्गत संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कर्मचारी, शिक्षक या कालेज प्रबंध समिति का पदाधिकारी हो सकेगा। प्रत्येक दशा में प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरे होने के 1 माह पूर्व नयी प्रबंध समिति का गठन करना होगा। साधारण सभा के समापित प्रबंध समिति को अनुरोध पत्रों को संलग्न करते हुए शिक्षा निदेशक/कुलसचिव/जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव हेतु पर्यवेक्षक की मांग कर सकेगा। वर्ष में कम से कम 2 बार साधारण सभा की बैठक आवश्यक होगी एवं सभी सदस्य अवैतनिक होंगे। सोसाइटी अपनी व सदस्यों की आय के स्रोतों से कालेज को निःस्वार्थ धन उपलब्ध कराएँगे तथा सोसाइटी-विद्यालय की धन सम्पत्ति पर किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होगा और न ही कोई सदस्य-पदाधिकारी विद्यालय से कोई भत्ता प्राप्त कर सकेगा।

उ० प्र० के कानपुर मण्डल के जनपद-फर्रुखाबाद में संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूप: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की अधिकतर प्रबंध समितियों के पदाधिकारी व सदस्य जनपद के स्थानीय समुदायों के सामान्य जनता, जन-साधारण, शिक्षाविद्, समाजसेवी, स्थानीय, अभिभावक सामान्यजन नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानक अनुरूप है तथा शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबंधतंत्रों के पदाधिकारी-अध्यक्ष-सचिव-सदस्य आपसी परिजन, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, मित्र, किराएदार, साझेदार, गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। एडिड एवं स्ववित्तपोषी कालेजों के लोग अपने निजी लाभ के लिए व्यापार की भाँति सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर एवं सोसाइटी एक्ट-1856, उ.प्र.विश्वविद्यालय एक्ट-1973, शिक्षा अधिनियमों की उपेक्षा कर स्व-लाभ हेतु अपने परिजनो, चाचा-भतीजे, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, मित्र, स्वजातीय, साझेदार आपसी हितबद्धों को प्रबंधतंत्रों का सदस्य-पदाधिकारी बनाकर एवं प्राचार्य, प्राध्यापकों, कर्मचारियों के पदों पर पदासीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र-छात्राओं को मनचाही डिग्री का लालच देकर अवैध वसूली व धन उगाही कर व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे हैं तथा शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल-ठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित हो रहे हैं। इनकी शिक्षा, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लेब्स, प्रकटीकन, लाइब्रेरीज मानक विहीन है एवं छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता संबंधी पत्रावलियों में औपचारिकता वश जो प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों की नियुक्ति होती है उनमें अधिकांश लोग प्राइमरी-इंटर कालेजों के वेतनभोगी एवं अन्य दूर-दराज क्षेत्र-प्रदेशों में सरकारी नौकरी करने वाले या वेतन-पेंशन भोगी या

रोयानिवृत्ति लोगों को दिखाया गया है जो अपने प्रमाण-पत्रों को मान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर देकर शिक्षक-प्राचार्य पद पर कार्यरत दिखाने हेतु रु.20,000 से 25000 वार्षिक देकर उनकी कालेज उपस्थित मुक्त होती है। जिसके कारण पात्र रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्ववित्तपोषी कालेज प्रबंधतंत्रों के लोग अर्ह शिक्षक को मानकीय वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। कालेज प्रबंधतंत्रों के दबंग लोग अर्ह शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते हैं परन्तु मानकयुक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। सरकारी-अनुदान प्राप्त शिक्षक 'ट्यूशनबाजी' में संलिप्त रहकर संगीन अपराध कर रहे हैं। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जगह परिजनो, सगे-संबंधी आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से मानक विरुद्ध निर्मित सोसाइटियाँ एवं उनकी प्रबंध समितियों की संबद्धताएं पूर्णतया अवैध हैं तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त कालेजों के संचालन की जरूरी प्रशासन योजना आदेश जी.ओ.संख्या-643(1) दि.15.8.11 एवं अधिनियम 1921 तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अधिनियम संख्या-21 शैक्षिक-संस्थानों द्वारा अभी तक उपेक्षित है।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एवं चिकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबंधन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर स्वलाभ कमाया जा रहा है तथा मानक विहीन सोसाइटियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता प्राप्त कर विद्यालयों में खुलेआम अवैध वसूली व आर्थिक अनियमितताएँ कर भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। महाविद्यालयों के प्रबंधतंत्रों के सदस्यों एवं शिक्षण व्यवस्था के अध्ययन, अवलोकन, सम्पर्क एवं प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त तथ्यों एवं विचार करने से ज्ञात होता है कि, उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के जनपद फर्रुखाबाद में संचालित वित्तीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली में फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों-प्रपत्रों एवं शपथ-पत्रों को जोड़-तोड़ कर और स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा शिक्षाविभाग एवं विश्वविद्यालय के लोगो से सांठगांठ एवं धन-लालच के प्रभाव से मनचाही बैठकें जांच-साक्षात्कार-नियुक्ति-जांच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के विकास की सरकारी योजनाओं की निधियों के धन को हड़प कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबंधतंत्रों के लोगों व उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा-छात्र-बेरोजगार-समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

'जनसामान्य' के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन-निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस संबंध में निरीक्षण तथ्य

यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं।

मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक शिक्षण, प्रकटीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एवं अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, ट्यूशन, बिना पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है तथा विद्यार्थी एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एवं शैक्षिक व्यवस्था के वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबंधतंत्र में अभिभावकों, शिक्षाविदों, समाजसेवी, स्थानीय, साधारण-जनता को ही सदस्य पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र में परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, राजनैतिक, सरकारी लाभ को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र का शैक्षिक हस्तक्षेप कालेज सम्पत्ति का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भुगतान, नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। प्रबंधतंत्र को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में जमा होना चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार से वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित व जबाबदेह होना चाहिए। ट्यूशन एवं नकल तथा अवैध वसूली तत्काल बंद होनी चाहिए। मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षक कर्मचारी, प्रबंधतंत्र, बजट विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशासन जबाबदेही होनी चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. देवाशीमुकर्जी, पर्यटन उद्योग के विकास की संभावनाएं, आईआरजेएमएसएच, जे. प्रकाशन, दिल्ली, 2015 पेज-118
2. डॉ. एम. के. मित्तल, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार, मेरठ-250002, पेज-34
3. आर्थिक समीक्षा 2014-15, यंग ग्लोबल पब्लिकेशन, टोलस्टोय मार्ग, नई-दिल्ली-110092, पेज-34,
4. वही, पेज-34
5. रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था, एमसीग्रेहिल एजुकेशन पब्लिकेशन, ग्रीनपार्क, नई दिल्ली-110016, पेज-18
6. वही, पेज-19

